न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 06/2025 बउनवानी रोहिताश मीना **बनाम** लो.सू.अधि.एवं अति.जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/32

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
27.2.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 6.12.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर'' *1.4.2019 से 31.3.2024 तक ग्राम पंचायत सूरवाल को किन किन मदो में/योजनाओ के तहत कितनी राशि आवंटित की गयी के संबंध मे 1 से 3 बिन्दुओ की सूचना''* अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःएफ.13(2)(156)/सूकाअ/24/135 दिनांक 11.2.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 6.12.2024 में चाही गयी सूचना का संबंध मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर /ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सूरवाल के कार्यालय से होने के कारण प्रार्थी प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सूरवाल को लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 1187 दिनांक 12.12.2024 से अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था। अतः अपीलान्ट को वांछित सूचनाओं के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सूरवाल के कार्यालय मे सम्पर्क करना चाहिए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 06.12.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय से नही होने के कारण उक्त सूचना उनके कार्यालय से उपलब्ध नही करवायी जा सकती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद/ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्व प्रथम अपील की सुनवायी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिंज की जाती है। अपीलान्ट को निर्देशित किया जााता है कि उक्त संबंध मे प्रथम अपील जिला प्रमुख/सरपंच के समक्ष पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:06:39 IST
Reason: SelfAttested